कार्यालय :--प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बामनवास (सवाई माधोपुर)

दिनांक 21-6-21

प्रेस समाचार

विधा संबल योजना के तहत आवेदन

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज.जयपुर के निर्देशानुसार राजकीय महाविद्यालय बामनवास में रिक्त अर्थशास्त्र विषय के अध्यापन कार्य के लिए प्रति कालांश के आधार पर सहायक आचार्य पद हेतु महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थियो / महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमो के अंतर्गत सेवा निवृत शैक्षणिक अधिकारीयों से गैस्ट फेकल्टी **(विधा संबल योजना)** के अंतर्गत दिनांक 20 जुलाई 2021 तक समस्त दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है |

विस्तृत जानकारी के लिये आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की वेवसाइट hte.rajasthan.gov.in दिनांक 11.06.2021 के परिपत्र का अवलोकन कर सकते है तथा महाविद्यालय में भी संपर्क कर सकते है |

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
बामनवास

प्रतिलिपि सादर प्रकाशनार्थ

1.सम्पादक राजस्थान पत्रिका बामनवास

2. सम्पादक दैनिक भास्कर बामनवास

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
बामनवास

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ1 ( )स्था./आकाशि/गे.फे./2021 - 1255 दिनांकः 11.6.2021

प्राचार्य/नोडल अधिकारी,
समस्त राजकीय महाविद्यालय

विषयः– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी आमन्त्रित करने हेतु।
संदर्भः– वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा. वि. ले. नि./2021 दिनांक 30.03.2021

महोदय,

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के क्रम में ऐसे महाविद्यालय जो वर्ष 2019, 2020 तथा 2021 में नवीन सृजित हुए है एवं ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं में **गेस्ट फैकल्टी से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे–**

1. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "विद्या संबल योजना" के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में गेस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त वर्णित परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन की जा सकेगी।
2. ऐसे महाविद्यालयों जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त है में महाविद्यालयों को विषय विशेष का अध्यापन गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से करवाया जा सकेगा।
3. वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में नवसृजित महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था नोडल महाविद्यालयों द्वारा की जा जायेगी।
4. वर्तमान में प्रभावी महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थियों/महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत शैक्षणिक अधिकारी को ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। निजी अभ्यार्थियों के संबंध में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी।
5. स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उनकी बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में किसी महाविद्यालय को विषय विशेष में अध्यापन व्यवस्था हेतु विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता होने पर आयुक्तालय से गेस्ट फैकल्टी की अनुमति हेतु मांग की जा सकेगी। महाविद्यालय द्वारा मांग प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से निर्णय लेकर गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था लागू की जा सकेगी।
7. गेस्ट फैकल्टी पर आमन्त्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेगें, इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाना है।
8. यह दिशा निर्देश मात्र वर्ष 2021–22 के बजट सत्र हेतु ही है।

7. **गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :–**

(A) वित्त विभाग के परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित संस्था प्रधान, महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आंकलन करे। शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने से पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रचार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेगें।

(B) आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा आयुक्तालय द्वारा पात्रता के लिये निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश/शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा तैयार पैनल का आयुक्तालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु आयुक्तालय में संयुक्त निदेशक के स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त पैनल का परीक्षण किया जायेगा। आयुक्तालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात गेस्ट फैकल्टी के पैनल से वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा।

(C) प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासम्भव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।

(D) यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सत्र के लिये है तथा भविष्य में इसको व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा।

(E) इस योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।

(F) गेस्ट फैकल्टी के कार्य का संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

10/06/2021.

(संदेश नायक)
आयुक्त

संलग्नः–

1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक पं.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021
2. गैस्ट फेकल्टी से लिया जाने वाला शपथ पत्र
3. पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड
4. प्रभारी अधिकारी IT cell इसको अपलोड करे

11/06/2021.

डॉ. आर. सी. मीणा
संयुक्त निदेशक (HRD)